(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12 /2021-एकीकृतकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृतमाल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 5के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वालेएकीकृतकर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिकहै, यथा: -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिज़ुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	5%
5	30	इटोलिज़ुमाब	5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	5%

9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	5%
11	30	फ़ेविपिराविरि	5%

2. यह अधिसूचना 1अक्टूबर, 2021से लागू होगी और 31दिसंबर, 2021तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार